



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
उप-कार्यालय, शिमला (क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़)  
Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh)  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड  
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood  
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001  
Shimla, Himachal Pradesh – 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in  
दूरभाष/Tel.0177-2658285,  
फैक्स/Fax: 0177-2657517



दिनांक. .02.2024

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
आमर्सडेल बिल्डिंग, शिमला।  
(e-mail: forestsecy-hp@nic.in)

विषय Diversion of 1.61 hectare of forest land in favour of Baddi- Barotiwala-  
Nalagarh Development Authority, EPIP Phase-I, JharMajri, Baddi Distt. Solan, HP. for the  
upgradation of road in front of ACL factory situated at Bir-PlassiNalagarh, within the  
jurisdiction of Nalagarh Forest Division Distt. Solan, Himachal Pradesh  
(FP/HP/ROAD/114837/2020)-reg

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी-सह-एपीसीसीएफ (एफसीए), हिमाचल प्रदेश, शिमला-1. पत्र क्रमांक No.Ft. No. 48-  
3245/2015 (FCA) dated 15.12.2023.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन  
(संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 1.61 हेक्टेयर वन भूमि की  
मांग की गई है।

2. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.11.2023 के अनुपालन में भेजा गया  
स्पष्टिकरण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, अतः प्रस्ताव से सम्बंधित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे: -

1. As the name of the persons responsible for violation has been identified in detailed violation report. As per FC Rules, 2023, para 15(2), the DFO concerned is requested to file complaint against the offenders before the Court having jurisdiction.
2. As and when the action taken in this regard is received from the State Govt., site inspection will be conducted by regional office as per para 10(4) of the FC Rules, 2023 before sending the proposal to the Ministry HQ.

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय,  
ह 0/-  
(राजा राम सिंह)  
उप महानिरीक्षक वन (के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1/64271/20241. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: [nodalfcahp@yahoo.com](mailto:nodalfcahp@yahoo.com)).
2. वन मण्डल अधिकारी, नालागढ़ वन मण्डल, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश (E-mail: [dfonal-hp@nic.in](mailto:dfonal-hp@nic.in))